Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल
HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMANS DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NS/121 **DATE: 24 FEBRUARY 2025**

सेवा में,
प्रमुख सचिव,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
5वाँ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली – 110001

द्वारा,
सुश्री रश्मि बाला
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)
पता: एफ-49, शुभम अपार्टमेंट, प्लॉट 4, द्वारका सेक्टर 12,
केंद्रीय विद्यालय के सामने, नई दिल्ली - 110078

विषय: निर्दोष छात्र के प्रति अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, मुआवजा, पुनर्वास एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाने के संबंध में।

माननीय महोदय,

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र के बिरौरी गांव स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 3 के मासूम छात्र के साथ नृशंस एवं अमानवीय कृत्य किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विद्यालय के एक शिक्षक ने छात्र को दंड स्वरूप मुर्गा बनने को मजबूर किया और फिर उसके ऊपर बैठ गया, जिससे अत्यधिक भार के कारण बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके अतिरिक्त, शिक्षक ने उसे जातिसूचक अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

घटना के उपरांत, पीड़ित बच्चा रोता-बिलखता रहा, किंतु निर्दयी शिक्षक उसे वहीं छोड़कर चला गया। अन्य छात्रों ने उसे घर पहुँचाया, जिसके बाद उसकी माँ उसे अस्पताल ले गई। प्रारंभिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

घटना के गंभीर प्रभाव:

1. **शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना:** अत्यधिक दबाव के कारण छात्र का पैर फ्रैक्चर हो गया एवं उसे सुनने में भी समस्या हो रही है।
2. **मनोवैज्ञानिक आघात:** इस अमानवीय कृत्य से बच्चे के मन में गहरा भय उत्पन्न हो गया है, जिससे उसका मानसिक विकास बाधित होगा।
3. **सामाजिक भेदभाव एवं संवैधानिक उल्लंघन:** जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर शिक्षक ने अनुच्छेद 15 (भेदभाव निषेध) एवं अनुच्छेद 21A (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन किया है।
4. **शिक्षा के अधिकार पर कुठाराघात:** ऐसी घटनाएँ छात्रों में विद्यालय जाने का भय उत्पन्न करती हैं, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य संकट में पड़ सकता है।

5. **विद्यालय प्रशासन की लापरवाही:** विद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जो बाल संरक्षण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

दोषी शिक्षक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए:

1. **गंभीर चोट पहुँचाने के अपराध के लिए** आरोपी शिक्षक पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाए।
2. **जातिसूचक अपमान करने हेतु** भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाए।
3. **बाल संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 75** (बाल शोषण) के तहत अभियोजन किया जाए।
4. **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत विद्यालय पर कानूनी कार्यवाही की जाए।

न्यायहित में अपेक्षित तत्काल कानूनी कार्यवाही:

1. दोषी शिक्षक की गिरफ्तारी एवं कठोर दंड:

- उक्त शिक्षक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत तत्काल गिरफ्तारी एवं न्यूनतम 05 वर्षों की कठोर कारावास की अनुशंसा की जाए।
- दोषी शिक्षक को शिक्षण कार्य हेतु स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाए।

2. पीड़ित छात्र को न्यायसंगत मुआवजा एवं पुनर्वास:

- अपराधी शिक्षक एवं विद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति स्वरूप कम से कम ₹5,00,000 का मुआवजा दिलाया जाए।
- छात्र के संपूर्ण चिकित्सा, शिक्षा एवं पुनर्वास खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाए।

3. विद्यालय पर दंडात्मक कार्रवाई:

- संबंधित विद्यालय की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाए।
- विद्यालय प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जाँच कर दोषी प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएँ।

4. बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय नीति के कड़े दिशानिर्देश लागू हों:

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कठोर दिशानिर्देश जारी किए जाएँ ताकि शिक्षकों द्वारा अमानवीय दंड देने की पुनरावृत्ति न हो।
- सभी विद्यालयों में बाल संरक्षण समितियाँ गठित की जाएँ, जो ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

माननीय महोदय,

यह प्रकरण न केवल एक मासूम बच्चे पर अत्याचार का मामला है, बल्कि यह बाल अधिकारों, मानवाधिकारों एवं न्यायिक प्रणाली की परीक्षा भी है। कृपया इस प्रकरण में तत्काल संज्ञान लें एवं आरोपी शिक्षक को कठोरतम सजा दिलाने, पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस कदम उठाने का कष्ट करें।

Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल
HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA. THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMANS DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

कृपया की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:

1. **समाचार पत्र दैनिक भास्कर** द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट लिंक: **https://shorturl.at/fhZGz**
2. **समाचार पत्र पंजाब केसरी** द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट लिंक: **https://shorturl.at/s77H5**
3. **समाचार पत्र अमर उजाला** द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट लिंक: **https://shorturl.at/9K2gt**

सादर धन्यवाद।

भवदीया,
रश्मि बाला
राष्ट्रीय सचिव
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)

प्रतिलिपि -

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार।

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)